राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–27/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/62
दायर दिनांक–12.06.2023
निर्णय दिनांक– 31.07.2024
उनवानी–

1. श्रवणलाल पुत्र तेजाराम जाति ब्राहमण नि0 ग्राम सिणगारा तह0 रूपनगढ़ ......प्रार्थी

बनाम

1. अनन्तराम पुत्र तेजाराम
2. गणेश पुत्र लादूराम
3. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि लादूराम
4. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र लादूराम
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
6. उप पंजीयक रूपनगढ़ ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:

1. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 प्रार्थी

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की एकल व संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सिणगारा पटवार हल्का थल भू0अ0नि0 क्षेत्र थल तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 373 के ख0न0 806/322 रकबा 3.0903 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है। संयुक्त खातेदारी कृषि आराजी खाता संख्या 375 के ख0न0 321 रकबा 0.1537 है0, ख0न0 805/322 रकबा 0.0485 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है। बरसों पूर्व हुये विधिक बंटवारे के अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के द्वारा कृषि कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त वर्णितानुसार इस कृषि भूमि पर प्रार्थी का बरसो पूर्व हुये विधिक बंटवारे के तहत उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा ख0न0 806/322 जो प्रार्थी का है। जिस पर जाने का रास्ता ख0न0 805/322 से होकर जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 तक के द्वारा प्रार्थी को रोका जा रहा है तथा ब्लात कब्जा, अतिक्रमण, अतिचार कर हैरान परेशान कर रहे है और बार–बार विवाद उत्पन्न कर कब्जा काश्त में बाधाकारित कर रहे है जिसके कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने व बुवाई जुताई बिजाई निराई गुडाई जोत करने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी को अपने खेत की भूमि की बुवाई, जुताई, बिजाई, निराई, गुड़ाई जोत करने तथा नींव सींव मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा नही हो इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 09.06.2023 को वाद कारण [illegible] हुआ [illegible] की एकल व संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि की बुवाई, जुताई, बिज़ाई, निराई, ग[illegible] जो[illegible]रने व बाड़ लगाने, खन्दक लगाने, कांटे लगाने तथा पत्थर के कतावले लगा कर सीमा चिन्ह बनाने [illegible] मौके पर तारबंदी करने में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा रूकावट एवं बाधा [illegible] अवैधानिक रूप से ज[illegible] प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा [illegible] के मध्य बरसो पूर्व हुये [illegible] बंटवारे के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 मौके पर अपने–अपने कब्जे काश्त के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर),

अनाधिकृत रूप से खेत की मेड़बंदी में प्रवेश कर जबरन रूप से मेड़बंदी को तोड़ दिया और खुर्द बुर्द करने की नियत से कृषि आराजी में अतिकमण, अतिचार करने पर आमदा हो रखे है। अप्रार्थी संख्या 5 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 6 के यहां दस्तावेज संबंधी पंजीयन होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी 5) की ओर से जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की एकल व संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की वाद वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं कृषि कार्य में दखलंदाजी नहीं की जावे व निराई, गुड़ाई,में बाधाकारित नहीं की जावें तथा कृषि भूमि में ब्लात अतिकमण,अतिचार नहीं करे। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को पाबंद किया जावें तथा अप्रार्थी संख्या 5 राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने तथा अप्रार्थी संख्या 6 को वादग्रस्त भूमि के अन्तरण, नामान्तरण एवं बैचान आदि का पंजीयन नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की कृपा करावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि आधार संवत् 2070–2073 में खाता संख्या 373 के ख0न0 806/322 तथा खाता संख्या 375 के ख0न0 321, 805/322 ग्राम सिणगारा संलग्न की है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा कमशः सम्पूर्ण एवं 1/3 राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित है व रिकार्डेड खातेदार सिद्ध है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से में दर्ज कृषि आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा ब्लात कब्जा, अतिकमण कर हैरान परेशान करने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त भूमि ग्राम सिणगारा के ख0न0 806/322, 321, 805/322 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में कृषि कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करने, अप्रार्थी संख्या 5 को राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने व अप्रार्थी संख्या 6 को उक्त भूमि का किसी भी प्रकार का रहन, बख्शीश, अन्तरण, नामान्तरण एवं बेचान आदि का पंजीयन नही करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)